न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– देवेन्द्र कुमार
आई०ए०एस०

1. राजस्व अपील सं० 11/2022

मूलचंद पुत्र मंगल जाति ब्राह्मण निवासी उदाला उपतहसील सैंथल तहसील दौसा जिला दौसा

.....अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए नायब तहसीलदार सैंथल

....रेस्पोडेन्ट

2. राजस्व अपील सं० 12/2022

रामोतार पुत्र हीरालाल जाति ब्राह्मण निवासी उदाला उपतहसील सैंथल तहसील दौसा जिला दौसा

.....अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए नायब तहसीलदार सैंथल

....रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार सैंथल दिनांक 20.8.2018 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम मूलचंद मु0नं0 125/2018 एवं उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रामोतार मु0नं0 126/2018 अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम

उपस्थित : 1. श्री शिवेन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय — दिनांक 30.5.2025

1. संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने नायब तहसीलदार सैंथल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.8.2018 जो कि प्रकरण सं0 125/2018 एवं 126/2018 से व्यथित होकर यह अपीलें पेश की गई है।
2. उक्त दोनों अपीलों के तथ्य एवं विषयवस्तु लगभग एक समान है। अतः इन दोनों अपीलों का निस्तारण एकल निर्णय के द्वारा किया जा रहा है।
3. अपीलें दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
4. अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि हल्का पटवारी ने अपीलांट के विरूद्व एक रिपोर्ट नायब तहसीलदार सैंथल के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की गई कि अपीलांट्स ने राजकीय सिवाय चक गै0मु0 रास्ता भूमि खसरा नंबर 190 पर तारबंदी की जाकर अतिचार किया है। पटवारी हल्का की इस झूंठी रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ नायब तहसीलदार सैंथल के द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना निर्णय जेर अपील पारित कर अपीलांट पर पेनल्टी कायत कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दंडित कर दिया है तथा निर्णय की पालना में वारंट जारी कर दिनांक 10.9.2018 को अपीलांट को गिरफ्तार कर अधीनस्थ नायब तहसीलदार सैंथल के यहॉ पेश किया जिस पर अपीलांट की तरफ से प्रार्थना पत्र जमानत पेश किया और दो लाख रूपये के जमानत मुचलके पेश करने पर अपीलांट्स को रिहा किया गया। इस निर्णय की जानकारी अपीलांट्स को दिनांक 10.9.2018 को हुई जब अपीलांट्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अपीलांट्स की ओर से निम्न आधारों पर यह अपीलें पेश की जा रही है। निर्णय अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सैंथल विधि

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:42:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट्स ने किसी भी गै0मु0 रास्ते पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है और ना ही तारबंदी की है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स को कोई सुनवाई व सबूत का मौका नहीं दिया ना ही पटवारी हल्का ने अपीलांट्स के समक्ष भूमि का मौका देख ना मौका रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट पटवारी मौके के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर ही एकतरफा में निर्णय जेर अपील पारित कर सजा करने में गलती की है तथा अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में कभी भी अतिक्रमण होना भी स्वीकार नहीं किया है यह तथ्य निर्णय में गलत लिखा है। अतः निरस्तनीय है। कानूनन सजा जैसे प्रकरण में पीडित पक्ष को पूर्ण सुनवाई का मौका देना आवश्यक है। अतः निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। अपीलांट्स पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी साबित नहीं है। इस संबंध में अपीलांट्स को कभी भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत कोई नोटिस नहीं दिया तथा पत्रावली पर कोई रिकार्ड व दस्तावेज पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत नहीं है, इसलिए भी बिना पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित किये बिना अपीलांट्स को अतिक्रमी नहीं माना जा सकता। प्रार्थी का पूर्व में भी कोई अतिक्रमण साबित नहीं है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी प्रदर्शित नहीं हुई पटवारी हल्का से अपीलांट्स को जिरह का कोई मौका नहीं दिया। बिना रिपोर्ट प्रदर्श हुए ही रिपोर्ट को साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जा सकता है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सैंथल दिनांक 26.10.2017 को निरस्त फरमाया जावे।

5. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट्स को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसकी विधिवत तामील करवाई गई है। अपीलांट्स बाद तामील अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अतिक्रमी ने ग्राम उदावाला के राजकीय सिवायचक गै0मु0 रास्ता भूमि खसरा नंबर 190 पर तारबंदी व पेड लगाकर अतिचार किया है। अतिक्रमियों के द्वारा उक्त आराजी पर गत वर्ष भी अतिचार किया था जिसको पूर्व में बेदखल किया किया गया है। इसके बावजूद अतिक्रमियों ने पुनः उक्त आराजी पर अतिक्रमण किया है। अपीलांट्स अतिक्रमी की श्रेणी में आते है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.8.2018 के द्वारा बेदखली एवं सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है। जबकि अपीलांट्स के द्वारा दिनांक 26.10.2017 के निर्णय को निरस्त करने हेतु यह अपीलें प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट्स खारिज फरमाई जावें।

6. हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. अपीलांट का मूल कथन यह है कि उन्हें सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया गया है। एव ना ही उसके पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने बाबत कोई नोटिस उन्हे दिया गया था जो कि न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने के कारण न्यायालय तहसीलदार सैंथल का निणर्य निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:42:26 IST
Reason: SelfAttested

8. हमने अधीनस्थ नायब तहसीलदार सैंथल के निर्णय दिनांक 20.8.2018 का अवलोकन किया। उक्त आदेश में न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट लिखा गया है कि अतिक्रमी को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (3) का नोटिस जारी किया गया था जो कि पश्चातवर्ती अतिक्रमी को जारी किया जाता है। उक्त प्रकरण में स्वयं अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण होना स्वीकार किया है जिसके उपरांत न्यायालय नायब तहसीलदार सैंथल द्वारा अपीलांट को

जिला कलेक्टर,दौसा

पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के कारण आदेश दिनांक 20.2.2018 मुकदमा नंबर 125/2018 एवं 126/2018 पारित किया गया है जो कि विधिसम्मत एवं नियमानुसार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतया विधिसम्मत रूप से पारित किया गया है जिसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश यथावत बहाल रखे जाते है। मूल निर्णय राजस्व अपील सं0 11/2022 में रखा जावे एवं राजस्व अपील सं0 12/2022 में इस निर्णय की छाया प्रति रखी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 30 मई, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि धि में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:42:26 IST
Reason: SelfAttested